रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12022020-216088
CG-DL-E-12022020-216088

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 85] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 11, 2020/माघ 22, 1941
No. 85] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 11, 2020/MAGHA 22, 1941

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 2020

सा.का.नि. 103(अ).—केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989, जिनमें केंद्र सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संशोधन करने का प्रस्ताव करती है, में और अधिक संशोधन करते हुए निम्नलिखित प्रारूप कतिपय नियमों को इस अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) के द्वारा यथावश्यक इसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है; और नोटिस दिया जाता है कि प्रारूप नियमों को उस तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने के बाद विचारार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा जिसको सरकारी राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं;

इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि समाप्त होने के पहले उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली किन्हीं आपत्तियों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

इन प्रारूप नियमों के प्रति आपत्तियों एवं सुझावों, यदि कोई हो, को संयुक्त सचिव (एमवीएल, टोल और आईटी), ईमेल: jspb-morth@gov.in, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 के पास भेजा जा सकता है।

प्रारूप नियम

1. शीर्षक एवं प्रारंभ – (1) इन विनियमों को केंद्रीय मोटर यान (.....संशोधन) विनियम, 2020 कहा जायेगा।

(2) बशर्ते, अन्यथा इन नियमों में निहित के अनुसार, ये नियम सरकारी राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 (इसके बाद उक्त नियमों के रूप में उल्लिखित) में निम्नलिखित संशोधनों को एतद्वारा जारी किया गया है।

(i) नियम 100 में, उप नियमों 1, 2 और 3 (खंड 3क और 3ख सहित) के लिए निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा, जो 1 अक्टूबर, 2021 से प्रभावी होगा नामत: -

"(1) विंडस्क्रीन का शीशा और कृषि ट्रैक्टर सहित प्रत्येक मोटर वाहन की खिड़कियां, यदि केबिन साथ लगाया गया हो, निर्माण उपकरण वाहन, यदि केबिन साथ लगाया गया हो और कंबाइन हार्वेस्टर सुरक्षा शीशा (सेफ्टी ग्लास) या चमकीले (ग्लेजिंग) पदार्थ का होना चाहिए।

बशर्ते कि एल 5 श्रेणी के वाहनों (तीन पहिया वाहनों) और हुड वाले तथा किनारे से ढ़के वाहनों के मामले में खिड़कियां ऐक्रेलिक या प्लास्टिक की पारदर्शी शीट की हो सकती हैं।

स्पष्टीकरण - इस नियम के प्रयोजनार्थ, -

(i) "सेफ्टी ग्लास या सेफ्टी ग्लेज़िंग" का तात्पर्य है आई एस 2553 (भाग 2) (संशोधन 1): 2019 के अनुरूप सामग्रियां।

(ii) वाहन के अग्र भाग में किसी विंडस्क्रीन या खिड़की, जिसकी आंतरिक सतह वाहन के अनुदैर्ध्य अक्ष से तीस डिग्री से अधिक कोण पर हो, को सामने की ओर अग्र भाग माना जाएगा।

(2) प्रत्येक मोटर वाहन के विंडस्क्रीन और पिछली खिड़की का सेफ्टी ग्लास या सेफ्टी ग्लेज़िंग ऐसा होना चाहिए और उन्हें ऐसी स्थिति में रखा जाना चाहिए कि प्रकाश का दृश्य संचरण 70% से कम न हो। बगल की खिड़कियों के लिए प्रयुक्त सेफ्टी ग्लास या सेफ्टी ग्लेज़िंग ऐसा होना चाहिए और उन्हें ऐसी स्थिति में रखा जाना चाहिए कि प्रकाश का दृश्य संचरण 50% से कम न हो और समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय मानक आईएस 2553 (भाग 2) (संशोधन 1): 2019 के अनुरूप होना चाहिए।

(3) बशर्ते कि मोटर वाहनों के अग्र भाग की विंडस्क्रीन का सेफ्टी ग्लास या सेफ्टी ग्लेज़िंग आई एस 2553 (भाग 2) (संशोधन 1): 2019 में विनिर्दिष्ट के अनुरूप होनी चाहिए।"

(ii) नियम 123 के लिए निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा, जो 01 अक्टूबर 2020 से प्रभावी होगी, नामत:-

"123. मोटरसाइकिल में सुरक्षा उपकरण-(1) किसी भी मोटर साईकिल, जिसमें पीछे के सवार के लिए चालक की सीट के बगल में या पीछे स्थायी निर्माण के बगैर हाथ से पकड़ने के प्रावधान किया जाना और एक फुट रेस्ट बनाया जाना चाहिए और पीछे वाले पहिये के आधे हिस्से को कवर करने वाला एक सुरक्षात्मक उपकरण होना चाहिए, ताकि पीछे बैठे व्यक्ति के कपड़ों को पहिए में उलझने से रोका जा सके:

बशर्ते कि, पीछे के सवार द्वारा हाथ से पकड़े जाने वाले प्रावधान, समय-समय पर यथा संशोधित आई एस: 14495-1998 विनिर्देशों द्वारा शासित होने चाहिए।

बशर्ते कि इसके अलावा फुट रेस्ट के लिए भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 के 11) के तहत संबंधित बीआईएस विनिर्देशों को अधिसूचित किए जाने तक, समय समय पर यथा संशोधित एआईएस 148: 2018 में विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं का अनुपालन किया जाएगा।

(2) मोटरसाइकिल पर यदि हल्के वजन वाला एक कंटेनर लगाया गया है, तो निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करना होगा:

(i) कंटेनर का आयाम लंबाई में 550 मिमी, चौड़ाई में 510 मिमी और ऊंचाई में 500 मिमी से अधिक नहीं होना चाहिए;

(ii) कंटेनर का भार, उसके आलंबन और कंटेनर में ले जाने वाला भार सहित, 30 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए;

(iii) यदि ऐसे कंटेनर को पीछे सवार के स्थान पर लगाया जाता है, तो किसी को भी पीछे सवार होने की अनुमति नहीं दी जाएगी:

बशर्ते कि कंटेनर का भार, उसके आलंबन और कंटेनर में ले जाने वाला भार सहित, वाहन निर्माता द्वारा विनिर्दिष्ट स्वीकार्य सकल वाहन भार किलो के भीतर होना चाहिए और नियम 126 में उलिलखित जांच एजेंसी द्वारा अनुमोदित भी होना चाहिए;

(3) मोटरसाइकिलों को भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 के 11) के तहत संबंधित बीआईएस विनिर्देशों को अधिसूचित किए जाने तक, समय समय पर यथा संशोधित एआईएस 146: 2018 में विनिर्दिष्ट स्टैंड आवश्यकताओं का अनुपालन करना होगा।

(4) मोटरसाइकिलों को भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 के 11) के तहत संबंधित बीआईएस विनिर्देशों को अधिसूचित किए जाने तक, समय समय पर यथा संशोधित एआईएस 147: 2018 में विनिर्दिष्ट बाहर निकलने वाले हिस्से की आवश्यकताओं का अनुपालन करना होगा; "

(iii) नियम 123 में, द्वीतीय परंतुक में, मद सं.(iv), निम्नलिखित के द्वारा अंत:स्थापित किया जाएगा, नामत:-

"(iv) यदि ऐसे कंटेनर को पीछे के सवार के स्थान के पीछे लगाया जाता है तो पीछे सवार को बैठने की अनुमति होगी।

बशर्ते कि वाहन, उसके आलंबन और कंटेनर में ले जाने वाला भार सहित यात्री और कंटेनर का भार वाहन निर्माता द्वारा विनिर्दिष्ट स्वीकार्य सकल वाहन भार किलो के भीतर होना चाहिए और नियम 126 में उल्लिखित जांच एजेंसी द्वारा अनुमोदित भी होना चाहिए; "

(iv) नियम 124क में, उप नियम 5क में शब्द नामत: "बशर्ते जहां कभी" को "यांत्रिक युग्मन" के पश्चात् और "कृषि ट्रैक्टर के लिए" शब्द से पहले अंत:स्थापित किया जाएगा।

(v) नियम 138, उप नियम 4 (क), खंड(क) में प्रथम परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक को अंत:स्थापित किया जाएगा, जो 01 अक्टूबर, 2020 से प्रभावी होगा।

"बशर्ते, इसके अतिरिक्त एम 1 श्रेणी के वाहनों के मामले में, यदि ट्यूबलेस टायर लगाया जाता है और एक मानक मद के रूप में टायर मरम्मत किट उपलब्ध कराई जाती है, तो ऐसे वाहनों को तैयार या अस्थायी उपयोग वाले अतिरिक्त पहिए प्रदान करने की आवश्यकता नहीं होगी।

स्पष्टीकरण: इस नियम के प्रयोजनार्थ, टायर मरम्मत किट का तात्पर्य आसानी से मरम्मत करने की किट वाहन में रखी गई है, जिसका टायर पंचर होने की स्थिति में संपीड़ित वायु के साथ पंचर वाले स्थान को सील करने वाले विशिष्ट पदार्थ का उपयोग करके टायर का पंचर ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

(vi) नियम 95 में, उप-नियम 7 के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम जोड़ा जाएगा, जो 1 अक्टूबर, 2020 से प्रभावी होगा: -

"(8) अधिसूचना की तारीख को और उसके छह महीने बाद या 1 अक्टूबर 2020 तक, जो भी पहले आता है, निर्मित 3.5 टी और एन 1 तक के अधिकतम द्रव्यमान वाले एम 1 श्रेणियों के वाहनों, यदि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) से सुसज्जित है, को भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 के 11) के तहत संबंधित बीआईएस विनिर्देश अधिसूचित होने तक, समय समय पर यथा संशोधित एआईएस 154 का अनुपालन करना होगा"

[सं. आरटी-11028/03/2019-एमवीएल]

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: मुख्य नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड 3, उप-खण्ड (i) की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 590(अ), 2 जून, 1989 को प्रकाशित किए गए थे और पिछली बार संशोधन अधिसूचना संख्या..... ..दिनांकित.....द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th February, 2020

G.S.R. 103(E).—The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by Section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) is hereby published as required by sub-section (1) of Section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of 30 days from the date on which the copies of this notification as published in the Gazette of India, are made available to the public.

The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period aforesaid will be considered by the Central Government;

Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Joint Secretary (MVL, Toll & IT), email: jspb-morth@gov.in, Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001.

DRAFT RULES

1. **Short title and commencement.**-(1) These rules may be called as the Central Motor Vehicles (……Amendment) Rules, 2020.

   (2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (herein after referred as the said rules) following amendments are hereby issued.

   (i) in rule 100, for sub rules 1, 2 and 3 (including clause 3A and 3B), following shall be substituted with effect from 1st October 2021 namely.-

"(1) The glass of windscreen and the windows of every motor vehicle including agriculture tractors if fitted with cabin, Construction Equipment Vehicle if fitted with cabin and Combine Harvester shall be of safety glass or glazing material.

Provided that in the case of L5 category vehicles (three wheelers) and vehicles with hood and side covers, the windows may be of acrylic or plastic transparent sheet.

Explanation - *For the purpose of this rule, -*

(i) "Safety glass or safety glazing" means materials conforming to IS 2553 (Part 2) (Revision 1): 2019.

(ii) Any windscreen or window at the front of the vehicle, the inner surface of which is at an angle more than thirty degrees to the longitudinal axis of the vehicle shall be deemed to face to the front.

(2) The safety glass or safety glazing of the windscreen and rear window of every motor vehicle shall be such and shall be maintained in such a condition that the visual transmission of light is not less than 70%. The safety glass or safety glazing used for side windows are such and shall be maintained in such a condition that the visual transmission of light is not less than 50% and shall conform to Indian Standards IS 2553 (Part 2) (Revision 1): 2019 as amended from time to time.

(3) Provided that the safety glass or safety glazing of the front windscreen of motor vehicles shall be as specified in IS 2553 (Part 2) (Revision 1):2019."

(ii) for rule 123 following shall be substituted with effect from 1st October 2020 namely.-

"123. Safety devices in motorcycle.-(1). No motor cycle, shall which has provision for pillion rider shall be constructed without provision for a permanent hand grip on the side or behind the driver's seat and a foot rest and a protective device covering not less than half of the rear wheel so as to prevent the clothes of the person sitting on the pillion from being entangled in the wheel:

Provided that, the pillion hand holds shall be governed by IS: 14495-1998 specifications, as may be amended from time to time.

Provided further that the foot rests shall comply with the requirements specified in AIS 148:2018, as amended from time to time, till the corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standard Act, 2016 (11 of 2016).

(2) A light weight container if fitted on a motorcycle provided it meets the following requirements :

(i) the dimensions of the container shall not exceed 550 mm in length, 510 mm in width and 500 mm in height;

(ii) Weight of the container including its mounting and the load carried in the container shall not exceed 30 kgs;

(iii) if such container is fitted on the pillion rider space, then no pillion rider shall be allowed:

Provided that the weight of container including its mounting and the load carried in the container, shall be within the permissible Gross Vehicle Weight in kg, specified by the vehicle manufacturer and also approved by the test agency referred to in rule 126;

(3) Motorcycles shall comply with the stand requirements specified in AIS 146:2018, as amended from time to time, till the corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standard Act, 2016 (11 of 2016);

(4) Motorcycles shall comply with external projections requirements specified in AIS 147:2018, as amended from time to time, till the corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standard Act, 2016 (11 of 2016);"

(iii) in rule 123, in the second proviso, item No. (iv), shall be substituted by the following namely :-

"(iv) if such container is fitted behind the pillion rider space then pillion rider shall be allowed to be seated.

Provided that the weight of the vehicle, passenger and the container including its mounting and the load carried in the container, shall be within the permissible Gross Vehicle Weight in kg, specified by the vehicle manufacturer and also approved by the test agency referred to in rule 126;"

(iv) in sub rule 5A, in rule 124A,the words namely "where ever provided" shall be inserted after the words namely "the mechanical couplings" and before the words namely "for agriculture tractor"

(v) in clause (a), sub rule 4(a), rule 138, after the first proviso following proviso shall be inserted with effect from 1st October 2020.

"Provided further that in case of M1 category of vehicles, if fitted with tubeless tyres and supplied with tyre repair kit as a standard item, then such vehicles need not be provided with ready for use or temporary use spare wheel.

Explanation: For the purposes of this rule, Tyre Repair kit means an easy to repair kit stored in the vehicle, which in the incident of tyre puncture is used to seal the punctured spot in the tyre tread using specific sealant poured into the tyre along with compressed air."

(vi) after sub rule 7, in rule 95, the following sub- rule shall be added, with effect from 1st October 2020 namely:-

"(8) Vehicles of categories M1 up to maximum mass of 3.5 T and N1, manufactured on and after six months from the date of notification or 1st day October 2020, whichever comes earlier, if fitted with Tyre Pressure Monitoring System (TPMS), shall conform to AIS-154, as amended from time to time, till the corresponding BIS specifications are notified under Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016)"

[No. RT-11028/03/2019-MVL]

PRIYANK BHARTI. Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i),vide notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and lastly amended vide notification number …….. Dated…….

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2020.02.12 14:53:05 +05'30'